



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023 / 273

दर्ज तिथि:-20.10.2023

1. रामजीवण पुत्र शंकराराम  
जाति मेघवाल निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. नेमी पत्नी शंकरलाल  
जाति मेघवाल निवासी खरड़
2. पंखु पत्नी भूराराम
3. दुर्गाराम पुत्र भूराराम
4. गिरधारीराम पुत्र भूराराम
5. लीला देवी पुत्री भूराराम
6. मूली देवी पुत्री भूराराम
7. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल
8. मनोहर पुत्र बाबूलाल
9. मोटाराम पुत्र बाबूलाल
10. चेतनराम पुत्र बाबूलाल
11. छोटूराम पुत्र बाबूलाल
12. भगवानाराम पुत्र बाबूलाल
13. दाड़मी पत्नी बाबूलाल  
जाति जटिया निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

14. तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:-श्री ओमप्रकाश विश्नोई


प्रतिवादी:- श्री रामनिवास विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88,53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955




-:निर्णय:-

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वारते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 695/1/1.0279 है0 वाके ग्राम खरड पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताविक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 4 से 13 को सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 03 व 07 हाजा न्यायालय में असागतन-वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 03 व 07 के अधिवक्ता द्वारा माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने की सहमति दी। जिस पर वकील वादी ने सहमति दिये जाने पर दिनांक 08.04.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू. अ/2025/1032 दिनांक 25.04.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ./2025/1032 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-


प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
-------------------------	---------------------

  
 सहायक कलक्टर  
 SDO धोरीमना

<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 18.04.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ./2025/नोटिस/1277-1290 दिनांक 15.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 18.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् तथा कुर्रैजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 695/1/1.0279 है0 वाके ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रैजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।


**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफ्त में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 695/1/1.0279 है0 वाके ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
रामजीवण पुत्र शंकराराम जाति मेघवाल सा.नेडीनाडी खातेदार	1/2	695/1	0.3237	बा.सो.	लाल
		695/1	0.1752	बा.सो	
		2	0.4989		

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

रामजीवण बनाम नेमी  
2023/273  
निर्णय दिनांक:-13.05.2025


नेमी पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल सा.नेडीनाडी खातेदार	1/4	695/1	0.2509	वा.सो	पीला
दुर्गराम पुत्र भूराराम जाति जटिया सा.देह खातेदार	1/24	695/1	0.0428	वा.सो	वैंगनी
गिरधारीलाल पुत्र भूराराम मूलीदेवी पुत्री भूराराम लीलादेवी पुत्री भूराराम पंखु देवी पुत्री भूराराम ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल मनोहर पुत्र बाबूलाल मोटाराम पुत्र बाबूलाल चेतनराम पुत्र बाबूलाल छोटूराम पुत्र बाबूलाल भगवाना पुत्र बाबूलाल दाइमी पत्नी बाबूलाल	1/5 1/5 1/5 1/5 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35	695/1	0.2142	वा.सो.	हरा
रामजीवन पुत्र शंकराराम नेमी पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल सा.नेडीनाडी खातेदार	150/211 61/211	695/1	0.0211	वा.सो.	भूरा
किता 01 रकबा 1.0279 हैक्टेयर					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(सिद्धार्थराज दारुस्तार  
सहायक धोरीमन्ना  
धोरीमना-बाड़मेर



रामजीवण बनाम नेमी  
2023/273  
निर्णय दिनांक:-13.05.2025



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023 / 273

दर्ज तिथि:-20.10.2023

1. रामजीवण पुत्र शंकराराम  
जाति मेघवाल निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. नेमी पत्नी शंकरलाल  
जाति मेघवाल निवासी खरड़
2. पंखु पत्नी भूराराम
3. दुर्गाराम पुत्र भूराराम
4. गिरधारीराम पुत्र भूराराम
5. लीला देवी पुत्री भूराराम
6. मूली देवी पुत्री भूराराम
7. ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल
8. मनोहर पुत्र बाबूलाल
9. मोटाराम पुत्र बाबूलाल
10. चेतनराम पुत्र बाबूलाल
11. छोटूराम पुत्र बाबूलाल
12. भगवानाराम पुत्र बाबूलाल
13. दाड़मी पत्नी बाबूलाल  
जाति जटिया निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

14. तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण


उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:-श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रतिवादी:- श्री रामनिवास विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88,53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955


  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 695/1/1.0279 है0 वाके ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
रामजीवण पुत्र शंकराराम जाति मेघवाल सा.नेडीनाडी खातेदार	1/2	695/1 695/1 2	0.3237 0.1752 0.4989	बा.सो. बा.सो	लाल
नेमी पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल सा.नेडीनाडी खातेदार	1/4	695/1	0.2509	बा.सो	पीला
दुर्गाराम पुत्र भूराराम जाति जटिया सा.देह खातेदार	1/24	695/1	0.0428	बा.सो	बैंगनी
गिरधारीलाल पुत्र भूराराम मूलीदेवी पुत्री भूराराम लीलादेवी पुत्री भूराराम पंखु देवी पुत्री भूराराम ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल मनोहर पुत्र बाबूलाल मोटाराम पुत्र बाबूलाल चेतनराम पुत्र बाबूलाल छोटूराम पुत्र बाबूलाल भगवाना पुत्र बाबूलाल दाड़मी पत्नी बाबूलाल	1/5 1/5 1/5 1/5 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35	695/1	0.2142	बा.सो.	हरा
रामजीवन पुत्र शंकराराम नेमी पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल सा.नेडीनाडी खातेदार	150/211 61/211	695/1	0.0211	बा.सो.	भूरा
किता 01 रकबा 1.0279 हैक्टयर					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन


  
 SDO धोरीमना

रामजीवण बनाम नेमी


2023/273

निर्णय दिनांक:-13.05.2025

कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में  
रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।  
नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा  
अपना-अपना वहन करेगें।



यह डिक्री आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं  
मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

  
(भागीरथराम आर.ए.एस.)  
सहायक कलेक्टर  
धोरीमन्ना-बाड़मेर